प्रेस नोट – 28.06.2025

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रारंभ हो चुका है
राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी जल्द ही होगा शुरू

1. भारत का संविधान सर्वोच्च है। सभी नागरिक, राजनीतिक दल एवं भारत का निर्वाचन आयोग संविधान का पालन करते हैं।
2. अनुच्छेद 326 में मतदाता बनने की पात्रता का उल्लेख है। केवल भारतीय नागरिक, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं, मतदाता बनने के पात्र हैं।
3. बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी है।
4. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास पहले से ही 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हैं और नए मतदान केंद्रों के लिए लगभग 20,603 और BLO नियुक्त किए जा रहे हैं।
5. एक लाख से अधिक वॉलेंटियर मतदाताओं की सहायता करेंगे, विशेषकर वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (PwD), गरीब तथा अन्य कमजोर वर्गों के मतदाताओं की।
6. भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों ने अब तक 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) नियुक्त किए हैं। अभी और BLAs की नियुक्ति की जा सकती है।
7. बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 7,89,69,844 पंजीकृत मतदाताओं के लिए नए एन्यूमरेशन फॉर्म (EF) की छपाई और घर-घर वितरण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन फॉर्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है और यह सफलता पूर्वक चल रही है।
8. मौजूदा 7,89,69,844 मतदाताओं में से 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम 01.01.2003 की अंतिम संवीक्षा मतदाता सूची में पहले से हैं — उन्हें केवल सत्यापन कर फॉर्म भरकर जमा करना है।
9. सभी संभागीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी सभी BLO के साथ SIR के दौरान पूर्णकालिक रूप से कार्य कर रहे हैं।
10. बिहार के 5,74,07,022 पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजे जा रहे हैं।
11. SIR से संबंधित सभी गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अच्छी तरह से प्रगति कर रही है।